

## भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर

# Indian Institute of Information Technology, Nagpur

#### **INSTITUTE RULES**

- 1. Students must always carry their Identity Cards with them, especially when they move out of their Hostels.
- 2. No student shall disobey any order issued by the Institute, Head of the Department, Faculty Advisor, Warden, Co-ordinator Faculty of First Year B.Tech, Advisors of various activities and Teachers. They must behave with due decorum towards their Teachers and fellow students. Girl students must be shown due consideration in this respect.
- 3. No student shall indulge in any form of ragging of the any students, causing mental or physical agony or inflict monetary loss to them, harass them or indulge in any kind of obscenity, vulgarity or violence with them. Students found involved in any form of ragging are liable to severe disciplinary action, and shall be punishable under the provisions of the Indian Penal Code 1860.
- 4. Students have no right to deny mess, club and other facilities to other students. The use of any such facility can be withdrawn only by the proper authorities.
- 5. Students should not indulge in any type of unkind, indecent behaviour towards new entrants in the Departments, hostels, messes, sections or any other places. Students indulging in any unseemly behaviour towards new entrants will render themselves liable to strict disciplinary action as per clause (3). above
- 6. Students should not indulge in violence of any kind with fellow students, employees including teaching staff of the Institute, and outsiders within or outside the Institute.
- 7. Students should not take the law in their own hands but must report any grievance to the teacher, Faculty advisor, Head of Department, the Warden or other Officers as the case may be. Indulgence in violence by any student or group of students will render them liable to strict disciplinary action.
- 8. Students are not allowed to become members of outside societies or allowed to join discussions of a political nature or to take part in any political activity without prior permission of the Institute.
- 9. Students are not permitted to consume or take alcoholic drinks and harmful drugs like Lysergic acid diethylamide (LSD), Ganja, Charas etc. within the Institute campus including their Hostels or outside in any restaurant/bar in Nagpur or on outside official visits such as training/tour/camp/field work etc. Any infringement of this order or visiting any place declared out of bounds to students will result in disciplinary action against the students concerned.
- 10. Students are warned against incurring debts, or committing irregularities in financial matters. In all such cases, which tend to bring discredit to the Institute, disciplinary action will be taken. The Institute, however, will in no way be responsible for such debts or irregularities.
- 11. No meeting of the students, other than those organized under the aegis of the various recognized students activities, shall be called and held without the prior permission in writing from the Associate Dean.
- 12. No meeting/function within the Institute campus at IIIT Nagpur to which any outsider is invited shall be organized nor shall any outsider be allowed to address the students without the prior permission in writing from the Associate Dean/Head of the Department.
- 13. No theatrical performance, dance or show of any kind shall be allowed either within or outside the Institute Campus/Hostels Student Accommodations in the name of any society of the students except with the prior permission in writing from the Associate Dean who may prescribe the terms and conditions for such performance.
- 14. No student shall by words spoken or written or by sign or visible representation or through internet or website or SMS offend or insult a fellow student or any Teacher of the Institute or any employee or Officer of the Institute. (Any form of ragging will also constitute an act of insult or offence on the person who is ragged).
- 15. No student shall misappropriate, prefer false claim for financial assistance of any kind (indulge in financial irregularity of any kind), mutilate, disfigure or otherwise destroy or damage any property of the Institute including furniture, books, equipment, apparatus, building etc.
- 16. No student shall Keep/drive motor driven vehicle (car, motor cycle, scooter etc.) for commuting inside IIIT Nagpur campus during his/her stay at IIIT Nagpur.
- 17. Students must pay all Institute, Mess, Club, Hostel Accommodations and other dues on or before the stipulated dates. If they do not do so, they render themselves liable to various penalties mentioned in the relevant instructions.
- 18. Students must take care of and protect all Institute/hostel property. Any damage to Institute/hostel property due to improper use or negligence will have to be made good by the students concerned. Students must use the Institute/hostel furniture arid fittings with due care and must not deface buildings, roads, furniture, fittings etc. in any manner. Not only the cost of the damaged Institute/hostel property will be recovered from the student (s) concerned, but disciplinary action shall also be taken.
- 19. The campus in time for students in hostel boys and girls is 08.30 pm.

BY ORDER



### भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर

# Indian Institute of Information Technology, Nagpur

#### संस्थान के नियम

- 1. छात्रों को हमेशा अपना पहचान पत्र अपने साथ रखना चाहिए, खासकर जब वे अपने छात्रावास से बाहर जाते हैं।
- 2. कोई भी छात्र संस्थान, विभागाध्यक्ष, संकाय सलाहकार, छात्रावास प्रबंधक, समन्वयक प्रथम वर्ष बीटेक, विभिन्न गतिविधियों के सलाहकार और शिक्षक द्वारा जारी किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं करेगा।, । उन्हें अपने शिक्षकों और साथी छात्रों के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए। छात्राओं को इस संबंध में उचित विचार दिखाया जाना चाहिए।
- 3. कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की रैगिंग में शामिल नहीं होगा, जिससे किसी भी छात्र को मानसिक या शारीरिक पीड़ा हो या उसे आर्थिक नुकसान हो, उसे परेशान न करे या उसके साथ किसी भी प्रकार की अश्लीलता या हिंसा में लिप्त न हो। किसी भी प्रकार की रैगिंग में संलिप्त पाए गए छात्र गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं, और भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधानों के तहत दंडनीय होंगे।
- 4. छात्रों को अन्य छात्रों को मेस, क्लब और अन्य सुविधाओं से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी किसी भी सुविधा का उपयोग उचित अधिकारियों द्वारा ही वापस लिया जा सकता है।
- 5. छात्रों को विभागों, छात्रावासों, भोजन कक्ष, अनुभागों या किसी भी अन्य स्थानों पर नए प्रवेशकों के प्रति किसी भी प्रकार का अभद्र, अशोभनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। नए प्रवेशकों के प्रति किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार में शामिल होने वाले छात्र खंड (3) के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी रहेंगे।
- 6. छात्रों को संस्थान के भीतर या बाहर साथी छात्रों, संस्थान के शिक्षण कर्मचारियों सहित कर्मचारियों और बाहरी लोगों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए।
- 7. छात्रों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, तथा शिक्षक, संकाय सलाहकार, विभागाध्यक्ष, छात्रावास प्रबंधक या अन्य अधिकारियों को कोई अनुचित घटना की शिकायत करनी चाहिए, जैसा भी मामला हो। किसी भी छात्र या छात्रों के समूह द्वारा हिंसा में लिप्त होने पर उन्हें सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा।
- 8. छात्रों को संस्थान की पूर्व अनुमति के बिना बाहरी संघटनो का सदस्य बनने या किसी राजनीतिक प्रकृति की चर्चाओं में शामिल होने या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- 9. छात्रों को उनके छात्रावास सिहत संस्थान परिसर के भीतर या नागपुर में किसी भी उपहार गृह /बार में या बाहरी आधिकारिक यात्राओं जैसे प्रशिक्षण/दौरे/शिविर/क्षेत्रीय कार्य आदि पर मादक पेय और हानिकारक दवाओं जैसे लिसेर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड (एलएसडी), गांजा, चरस आदि का सेवन करने या लेने की अनुमित नहीं है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन या छात्रों के लिए सीमा से बाहर घोषित किसी भी स्थान पर जाने से संबंधित छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- 10. छात्रों को ऋण लेने या वित्तीय मामलों में अनियमितता करने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। ऐसे सभी मामलों में, जो संस्थान को बदनाम करते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संस्थान, हालांकि, इस तरह के ऋण या अनियमितताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 11. सहयोगी डीन की लिखित पूर्व अनुमति के बिना, विभिन्न मान्यता प्राप्त छात्र गतिविधियों के तत्वावधान में आयोजित बैठक के अलावा, छात्रों की कोई बैठक बुलाई और आयोजित नहीं की जाएगी।
- 12. भा. सु. प्रौ. नागपुर में संस्थान परिसर के भीतर कोई बैठक/समारोह जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है, आयोजित नहीं किया जाएगा और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को सहयोगी डीन/विभाग प्रमुख की लिखित पूर्व अनुमति के बिना छात्रों को संबोधित करने की अनुमति दी जाएगी।
- 13. सहयोगी डीन से लिखित में पूर्व अनुमित के बिना छात्रों के किसी भी समाज के नाम पर संस्थान परिसर / छात्रावास छात्र आवास के भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के नाट्य प्रदर्शन, नृत्य या किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमित नहीं दी जाएगी, ऐसे प्रदर्शन के लिए शर्तों के आधार पर अनुमित दी जाएगी।
- 14. कोई भी छात्र बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व या इंटरनेट या वेबसाइट या एसएमएस के माध्यम से किसी साथी छात्र या संस्थान के किसी शिक्षक या संस्थान के किसी कर्मचारी या अधिकारी का अपमान नहीं करेगा। (रैगिंग का कोई भी रूप रैगिंग करने वाले व्यक्ति का अपमान या अपराध होगा)।
- 15. कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए गलत दावा नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता में शामिल नहीं होगा, फर्नीचर, किताबें, उपकरण, भवन आदि सहित संस्थान की किसी भी संपत्ति को विकृत, या अन्यथा नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करेगा।
- 16. भा. सु . प्रौ . नागपुर में अपने अधिवास के दौरान कोई भी छात्र भा. सु . प्रौ . नागपुर परिसर के अंदर आने-जाने के लिए मोटर चालित वाहन (कार, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि) नहीं रखेगा / चलाएगा।
- 17. छात्रों को निर्धारित तिथियों पर या उससे पहले सभी संस्थान, भोजन कक्ष, क्लब, छात्रावास आवास और अन्य देय राशि का भुगतान करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे संबंधित निर्देशों में उल्लिखित विभिन्न दंडों के लिए खुद को उत्तरदायी रहेंगे।
- 18. छात्रों को सभी संस्थान/छात्रावास संपत्ति की देखभाल और सुरक्षा करनी चाहिए। अनुचित उपयोग या लापरवाही के कारण संस्थान/छात्रावास संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई संबंधित छात्रों को करनी होगी। छात्रों को उचित देखभाल के साथ संस्थान / छात्रावास के फर्नीचर और फिटिंग का उपयोग करना चाहिए और किसी भी तरह से इमारतों, सड़कों, फर्नीचर, फिटिंग आदि को खराब नहीं करना चाहिए। संबंधित छात्र (छात्रों) से न केवल क्षतिग्रस्त संस्थान/छात्रावास संपत्ति की लागत वसूल की जाएगी, बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
- 19. छात्रावास में छात्र एवं छात्राओं के लिए परिसर में आने का समय रात्रि 08.30 बजे है।